

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर

क्रमांक:- ई-33/ले.टे/(एफ-1512)/2019/47

दिनांक : 16-01-2019

## आदेश

श्रीमती निशा जाटोलिया, लैब टैक्नीशियन जिनका निदेशालय के आदेश क्रमांक 358 दिनांक 07.06.2018 के द्वारा राजस्थान सेवा नियम-110 के तहत बीएससी (एमएलटी) के नियमित कोर्स हेतु दिनांक 15.04.2018 से 14.04.2020 तक 2 वर्ष की अवधि का अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया गया था. को एतद द्वारा निरस्त किया जाता है।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राज0, जयपुर

क्रमांक:- ई-33/ले.टे/(एफ-1512)/2019/47

दिनांक : 16-01-2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अधीक्षक, जे.के. लोन चिकित्सालय, कोटा।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा।
3. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, इटावा, कोटा।
4. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पिपलदा, कोटा।
5. प्रभारी, सर्वर रूम, क.नं. 302, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
6. श्रीमती निशा जाटोलिया, लैब टैक्नीशियन को क्रम संख्या-1।
7. आदेश/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राज0, जयपुर